Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

गुरदेव सिंह बनाम दलीप सिंह आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट नम्बर 77A/2025

जी.सी.एम.एस. आईडी 2025/225

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
[illegible]0.05.2025	प्रार्थी गुरदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति रायसिख साकिन 37 पी एस तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर वगैरा की ओर से श्री ओमप्रकाश कटारिया अधिवक्ता ने वाद–पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र. मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि रिकॉर्ड व मौका यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थीगण के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि चक 37 पी एस का खाता संख्या 38/32 के पं.नं. 271/292 मु.न. 06 की 3.896 है. नहरी भूमि व मु.न. 30 प.न. 276/294 की 1.265 है. नहरी भूमि कुल दोनो मु.न. 5.161 है.नहरी में 1032/5161 हिस्सा यानि 1.032 है. नहरी भूमि में से मु.न. 6 के कि.न. 22 की 0.253 है. नहरी खातेदारी भूमि पर आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिया जाते है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी हेतु 7 दिवस के भीतर रजि.ए डी नोटिस तलवाना पेश करें, एवं तलबी जारी करवा नोटिस मय स्थगन आदेश की प्रति अप्रार्थीगण को भिजवाते हुए रजि0 रसीद प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पर अप्रार्थीगण की तलबी कराने में असफल रहने पर यह अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावे। • रास्ता/खाला के विवाद पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। • डी.आई.एल.आर.एम.पी के कार्यों व बैंक ऋण वसूली • (राको रोडा) पर उक्त व्यादेश लागू नहीं होगा। रजि0 एडी नोटिस तलवाना पेश करने पर तलबी जारी हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29.07.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर (उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर)	714 2/6/25
23/7/25	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य [illegible] हैं, पत्रावली दिनांक ...[illegible]... को पेश हो।	Not press 31-07-2025
31/7/25	आज पत्रावली [illegible] पेश हुई [illegible] अधिवक्ता [illegible] उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मैं सत्यापित करता हूं प्रार्थी कि [illegible]
[illegible] इस बात लिए अदालत के समक्ष
में [illegible] है। [illegible]
[illegible] शपथपत्र के आगे चला है
कोई औचित्य नहीं है। [illegible] के द्वारा [illegible]
निर्णयों को दिनांक 30/5/25 को निरस्त
किया जाता है। [illegible]
है [illegible]

[illegible] कुमार [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.08.05 15:38:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner